राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 3063 / SEIAA/2022
Date: 10/2/22

प्रति,

श्री वेंकटेशवर सिंह रघुवंशी पिता श्री सूरज प्रकाश रघुवंशी,
ग्राम परवलिया, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.)–464001.

विषयः– प्रकरण क्र. 8681/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री वेंकटेशवर सिंह रघुवंशी पिता श्री सूरज प्रकाश रघुवंशी, ग्राम परवलिया, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.)–464001 द्वारा पत्थर खदान, एरिया 4.0 हेक्टेयर, विस्तार उत्पादन क्षमता 6840 से 36181 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा 556/2, ग्राम कांचीखेड़ा, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 703 वी बैठक दिनांक 30.01.2022 को चर्चा किया गया एवं यह अभिलिखित किया गया ....

उक्त प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 699वी बैठक दिनांक 29.12.2021 में निर्णय लिया गया :–.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 536वीं बैठक दिनांक 17.12.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुएप् र्यावरणीय मुद्‌दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय से पर्यावरण स्वीकृति का अनुपालन प्रतिवेदन अभिप्रमाणित कराकर जमा किया गया है जिसमें सभी शर्तो का परिपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तो का परिपालन ना किये जाने के स्पष्टीकरण हेतु SEIAA के समक्ष परियोजना प्रस्तावक एवं आरक्यूपी के द्वारा एक माह की समयावधि में प्रस्तुतीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदानुसार संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल से अनुवीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में विस्तृत चर्चा में यह निर्णय लिया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो के अनुपालन के संबंध में खदान क्षेत्र के भीतर किये गये पर्यावरण प्रबंधन कार्य एवं खदान क्षेत्र के बाहर किये गये सामुदायिक कार्यों के वास्तविक अभिप्रमाणित छायाचित्र सहित परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त निर्णय अनुसार आपको सूचित किया जाता है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो के अनुपालन के संबंध में खदान क्षेत्र के भीतर किये गये पर्यावरण प्रबंधन कार्य एवं खदान क्षेत्र के बाहर किये गये सामुदायिक कार्यों के वास्तविक अभिप्रमाणित छायाचित्र सहित SEIAA कि आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।

o/c (आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी